न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 229/2018 (2018/00314)

1. गोरीशंकर पुत्र स्व मादू कोली जाति कोली निवासी देवगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर

---वादी

♠बनाम♠

1. तहसीलदार केकड़ी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

--प्रतिवादी

2. गंगादेवी पत्नि स्व मादू कोली
3. गोपाल पुत्र स्व मादू कोली
4. नानगी पुत्री स्व मादू कोली
5. कजोड पुत्री स्व मादू कोली
6. प्रभाती पुत्र स्व मादू कोली

समस्त जाति कोली निवासीगण देवगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर

-- प्रफोर्मा प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188, 92ए, 209 राज. काश्तकारी अधिनियमव 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

–:: निर्णय ::–

दिनांक 12.06.2023

पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान एवं महंगाई राहत शिविर केम्प देवगांव में पेश हुई। वादी एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके ग्राम देवगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

जमाबंदी संवत 2041 के अनुसार

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा (बीघा)	किस्म
1	283/2	03–10–00	बारानी 3
	किता 1	कुल रकबा 03.–10–00	

वर्तमान जमाबंदी के अनुसार

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1–1	653	10.10	बारानी 2
	किता 1	कुल रकबा 10.10 हैक्टर	

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त वर्णित आराजीयात जमाबंदी संवत 2041 में वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण 2 लगायत 6 के स्व पिताजी व पति श्री मादू पुत्र रामलाल कोली निवासी देवगांव के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 16 दिनांक 24.05.1995 बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज चली आ रही है तथा स्व मादू कोली का दिनांक 18.05.1996 को स्वर्गवास हो गया है एवं वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण ही स्वर्गीय श्री मादू कोली के विधिक व जायंदा वारिसान है। इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नही है। वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण उक्त वर्णित आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चले आ रहे है। जमाबंदी संवत 2041 के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 एवं उसके अधिनस्थ राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने वादी को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अवैध व गैरकानूनी तरीके से वादी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की उक्त आराजीयात को राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में सिवायचक काबिल काश्त दर्ज कर दी जिसकी जानकारी वादी को दिनांक 01.06.2018 को राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा राजस्व केम्प की तैयारियां व राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सिवायचक भूमियों व सरकारी भूमियों पर काबिज होने पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बैदखल करने एवं अन्य कानूनी कार्यवाही करने के संबंध में सुनने पर पटवारी हल्का से संपर्क करने पर हुई एवं पता चला कि उपरोक्त आराजीयात वर्तमान में वादी की खातेदारी के बजाय सिवायचक सरकारी भूमि दर्ज कर दी गई है जिससे यह वादपत्र पेश करना लाजमी आया है। प्रतिवादी का उपरोक्त आराजीयात में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही है फिर भी वादी को जबरन बैदखल करने एवं फसल व प्राकृतिक उपज को नष्ट भ्रष्ट करने तथा आराजीयात को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। प्रतिवादी अपने उक्त कृत्य में सफल हो जाते है तो वादी को अपने हक व हिस्से की आराजीयात से वंचित होना पडेगा तथा बहुवाद कार्यवाहियों में उलझना पडेगा। अतः वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नही करने, वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा नही पंहुचाने हेतु प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने तथा वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण का नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी द्वारा जवाब दावा पेश किया गया जो निम्नानुसार है–

1. राजस्व ग्राम देवगांव के हाल खसरा नम्बर 653 रकबा 10.10 हैक्टर सिवायचक खाते में दर्ज रिकॉर्ड है जो मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नम्बर 281 मिन रकबा 3.26 हैक्टर, 322 मिन रकबा 4.36 हैक्टर, 283/1 रकबा 1.27 हैक्टर, 283/2 रकबा 0.57 हैक्टर, 200 रकबा 0.15 हैक्टर, 322/2 रकबा 0.49 हैक्टर से बना है।
2. मुताबिक साबिक रिकॉर्ड संतव 2041 साबिक खसरा नम्बर 283/2 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादीगण के पिता को आवंटित हुई थी जो नामान्तकरण संख्या 109 दिनांक 13.05.1969 से गैर खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। नामान्तकरण संख्या 16 दिनांक 24.08.1995 के द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी को खातेदारी प्रदान की गई।
3. उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त रहा है एवं उसकी मृत्यु उपरान्त वर्तमान में उक्त भूमि पर आवंटी के वारिसान/वादीगण गोरीशंकर, गोपाल वगैरह पिता मादू का निर्विवाद कब्जा काश्त चला आ रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

4. सन् 1984–85 में भू प्रबंध विभाग द्वारा साबिक आराजी नम्बर 283/2 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया जो कि साबिक कुल किता 6 कुल रकबा 10.10 हैक्टर बनाकर मिलान क्षेत्रफल अनुसार सिवायचक खाते में दर्ज कर दिया जिसका वर्तमान नवीन खसरा नम्बर 653 रकबा 10.10 हैक्टर है।
5. वादीगण के पिता मादू के नाम आवंटित भूमि जिसका साबिक नम्बर 283/2 बाद आवंटन गैर खातेदारी अधिकार मिलने व उक्त भूमि पर वादीगण का निर्विवाद कब्जा काश्त के बावजूद भू प्रबंध विभाग द्वारा उक्त भूमि से सिवायचक दर्ज किये जाने से वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है जो माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में आता है। वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार वाद के संदर्भ में रिकॉर्ड सहित मौका देखा गया। वादीगण का कब्जा वर्तमान खसरा नम्बर 653 मे है जहा वादीगण द्वारा फसल काश्त की जा रही है किन्तु इस वर्ष मौके पर भूमि पडत पाई गई (काश्तहीन), वादी द्वारा जहां काश्त की जा रही है एवं मौके अनुसार साबिक नम्बर 283/2 पर जहां वादी काबिज है वह क्षेत्र खनन से प्रभावित नही है।

आज दौराने केम्प वादी एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत मोका रिपोर्ट/जवाब सरकार पर पक्षकारान की बहस सुनी गई।

वादी ने दौरान बहस वादवर्णित तथ्यों का वर्णन कर निवेदन किया है कि आराजीयात श्री मादू पुत्र रामलाल कोली के नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड होकर काबिज काश्त चली आ रही थी जिसका सत्यापन जमाबंदी संवत 2041 के खसरा नम्बर 283/2 की पत्रावली में संलग्न प्रमाणित प्रति से होता है जिसमें अंकित नोट अनुसार नामान्तकरण संख्या 109 दिनांक 13.05.1969 से आराजी खसरा नम्बर 283/2 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा वादी के पिता मादू पुत्र रामपाल कोली के नाम गैर खातेदार होकर नामान्तकरण संख्या 16 दिनांक 24.05.1995 वादी के पिता के नाम खातेदारी में दर्ज हुई। साबिक खसरा नम्बर 283/2 के हाल खसरा नम्बर 653 रकबा 10.10 हैक्टर बने है जो कि संलग्न मिलान क्षेत्रफल से साबित होता है। जिसमें वादी अपनी आराजी के क्षेत्रफल 3 बीघा 10 बिस्वा अर्थात 0.57 हैक्टर पर काबिज काश्त है। उक्त आराजी प्रारम्भ से ही वादी के पिता एवं उनके पश्चात वादी एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादी एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की स्वयं की खातेदारी की आराजी कब, किस प्रकार और किस आदेश से सिवायचक सरकार दर्ज हुई इसकी वादीगण को कोई जानकारी नही रही है एवं वादीगण बैरोकटोक काश्त करते चले आ रहे है। वादवर्णित आराजीयात वादीगण की स्वयं की आराजीयात है जो वादीगण के पूर्वजो के समय से ही वादीगण के काबिज काश्त चली आ रही थी एवं वर्तमान में भी वादीगण ही काबिज काश्त है जो कि श्रीमान तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से भी सावित होता है। वादीगण की आराजीयात त्रुटिवश सिवायचक सरकार दर्ज हुई है जिसे दुरूस्त किया जाकर हाल खसरा नम्बर 653 रकबा 10.10 हैक्टर में से 3 बीघा 10 बिस्वा अर्थात 0.57 हैक्टर का वादी एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया गया है। वादी द्वारा बहस में दिये गये तर्क पर आज केम्प में उपस्थित प्रफोर्मा प्रतिवादीगण द्वारा सहमति दी जाकर पत्रावली में उपस्थिति के हस्ताक्षर अंकित किये तथा वादी की प्रार्थना स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

दौराने बहस तहसीलदार केकड़ी ने पत्रावली में प्रस्तुत जवाब सरकार/मौका रिपोर्ट के तथ्यों का वर्णन किया एवं साबिक खसरा नम्बर 283/2 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा का वादी के पिता को आवंटन होकर नामान्तकरण संख्या 109 दिनांक 13.05.1969 से आराजी खसरा नम्बर 283/2 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा वादी के पिता के नाम गैर खातेदार होकर नामान्तकरण संख्या 16 दिनांक 24.05.1995 खातेदारी में दर्ज होना जाहिर किया साथ ही अवगत कराया कि मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नम्बर 283/2 रकबा 0.57 हैक्टर के हाल खसरा नम्बर 653 बने है जिसका कुल रकबा 10.10 हैक्टर है एवं इसमें वादीगण अपनी आराजी के क्षेत्रफल 0.57 हैक्टर पर काबिज काश्त चले आ रहे है जो रिपोर्ट में अंकित नक्शे में दिखाये अनुसार है। वादी की आराजी का क्षेत्र खनन से प्रभावित नही है।

—:आदेश:—

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट/जवाब सरकार का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2041 साबिक खसरा नम्बर 283/2 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति, मिलान क्षेत्रफल एवं तहसीलदार केकड़ी की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि वादवर्णित आराजी वादी के पिता के नाम खातेदारी में दर्ज थी एवं उक्त आराजीयात को भू प्रबंध विभाग द्वारा सिवायचक दर्ज कर दिया है जो बिना किसी सक्षम स्तरीय आदेश से नही किया जाकर सहवन से होना प्रतीत होता है। वादी द्वारा अपने वाद के पक्ष में दिये गये तर्क से प्रफोर्मा प्रतिवादीगण द्वारा सहमती जाहिर की है एवं पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब सरकार में वादवर्णित आराजी का पूर्व में वादी के पिता के नाम खातेदारी में दर्ज होना एवं वादीगण के द्वारा काबिज काश्त होना जाहिर किया है जिससे अब पत्रावली में शहादत वादी/शहादत प्रतिवादी/तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः वादी का वादपत्र अर्न्तगत धारा 88, 188, 92ए, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम देवगांव तहसील केकड़ी की जमाबंदी के हाल खसरा नम्बर 653 रकबा 10.10 हैक्ट में से रकबा 0.57 हैक्टर पर वादी एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के नाम का अंकन स्वीकार कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की कार्यवाही करें। खर्चा फरिकेन अपना—अपना वहन करें।

आदेश पृथक से लिखाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान एवं महंगाई राहत शिविर केम्प देवगांव में मजमेआम में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारीः— विकास पंचोली (आर.ए.एस)

1. गोरीशंकर पुत्र स्व मादू कोली जाति कोली निवासी देवगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर —वादी

♠बनाम♠

1. तहसीलदार केकड़ी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान —प्रतिवादी
2. गंगादेवी पत्नि स्व मादू कोली
3. गोपाल पुत्र स्व मादू कोली
4. नानगी पुत्री स्व मादू कोली
5. कजोड पुत्री स्व मादू कोली
6. प्रभाती पुत्र स्व मादू कोली

समस्त जाति कोली निवासीगण देवगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर — प्रफोर्मा प्रतिवादी

वाद पत्रः— अंतर्गत धारा 88, 188, 92ए, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम व सपठित धारा 136 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

मुकदमा नम्बरः—राजस्व वाद 229/2018 (2018/00314)
निर्णय दिनांकः—12.06.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकडी बहाजिरी वादी एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण स्वयं व पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी हाजिर मुद्दावलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादी का वादपत्र अर्न्तगत धारा 88, 188, 92ए, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम देवगांव तहसील केकड़ी की जमाबंदी के हाल खसरा नम्बर 653 रकबा 10.10 हैक्ट में से रकबा 0.57 हैक्टर पर वादी एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के नाम का अंकन स्वीकार कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की कार्यवाही करें। खर्चा फरिकेन अपना—अपना वहन करें। इस आश्य का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना—अपना वहन करे।

चीज .....मुबलिक.....बाबत्.....
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.06.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
ओहदा

मुददई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान.			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर.			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	———	———	मुतफरिक	———	———
मीजान	0	0	मीजान	0	0

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner